



# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

कार्यालय: - 7वां एवं 8वां तल इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

पत्रांक : 725/अधि0अभि0/मु0अ0/वि0प्रा0/2018-19

दिनांक : 11/05/2018

## निविदा-सूचना

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु सीलबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा के प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट [www.ada.iita.ac.in](http://www.ada.iita.ac.in) से डाउन लोड किये जा सकते हैं। सीलबन्द लिफाफे पर, कार्य का नाम एवं सेवा में मुख्य अभियंता, इ0वि0प्रा0 तथा प्रेषक, फर्म का नाम व पता अंकित होना चाहिए। उक्त निविदा किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में रखे बाक्स में दिनांक 21.05.2018 को 2.00 बजे तक डाली जा सकेगी, निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 21.05.2018 को सायं 4.00 बजे कमेटी हाल में उपस्थित ठेकेदारों या अधिकृत प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हुए) के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्ययानुमान की धनराशि (रु0 लाख में)	जमानत की धनराशि (रु0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि	निविदा मूल्य GST सहित (रु0 में)	श्रेणी
1	Structural design work for construction of 312 EWS (G+3) Flats under Pradhan Mantri Awas Yojna at Gokul Sector in Kalindipuram Housing Scheme, Allahabad.	2.72	10,000.00	01 माह	590.00	M. Tech. in (Structural Engg.) Minimum Experience 5 years

- नोट-- (1) अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी सम्बन्धित अधिशासी अभियंता कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- (2) अन्य नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में उपलब्ध हैं।

मुख्य अभियंता,  
इ0वि0प्रा0

नोट--

- उक्त निविदा हेतु धरोहर राशि अधिशासी अभियंता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/एन0एस0एस0 के रूप में अथवा RTGS के माध्यम से प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। यदि किसी निविदा के साथ समुचित जमानत धनराशि जमा नहीं होगी तो ऐसी निविदायें खोलते ही पुनः सील कर दी जायेंगी।
- निविदा मूल्य RTGS के माध्यम से अथवा नगद प्राधिकरण कोष में देय होगी, जो वापस नहीं होगी।
- निविदा स्वीकृति उपरान्त असफल निविदादाताओं की RTGS के माध्यम से जमा धरोहर धनराशि उनके द्वारा दिये गये उनके बैंक खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।
- किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या विभाजन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
- निविदा में दी गयी दरें तीन माह तक मान्य होगी।
- शेष समस्त कटौतियाँ लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार की जायेगी।
- कार्यालय अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में डाली/खोली जायेगी।